रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 995] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937
No. 995] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2015

का.आ. 1273(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2798(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 3 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, जिला ''चंदौली'' से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि ''अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), चन्दौली'' के स्थान पर प्रविष्टि ''उपजिलाधिकारी, चन्दौली'' प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/11012/एलए–रारा–2/नोटिफ/पीआईयू–वाराणसी]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी:– मूल अधिसूचना का.आ. 2798(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2009, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2015

S.O. 1273(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2798 (E), dated the 3rd November, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd November, 2009, namely:—

In the Schedule to the said notification, against serial number 2 relating to District "Chandauli", in column (2) for the entry "Additional District Magistrate (F&R), Chandauli", the entry "Sub-Divisional Magistrate, Chandauli" shall be substituted.

[F. N. NHAI/11012/LA-NH-2/Notif/PIU-Varanasi]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note:- The pricipal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 2798(E) dated 3rd November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.